न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/52

मोहन लाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री भगवान लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेड़ा जिला बून्दी हाल निवासी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. त्रिलोक उम्र 41 वर्ष पुत्र श्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा ।
2. ज्ञानचन्द उम्र 21 वर्ष पुत्र श्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा ।
3. मंजू उम्र 34 वर्ष पुत्री श्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा ।
4. लीला उम्र 20 वर्ष पुत्री श्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा ।
5. घीसी बाई आयु 61 वर्ष पत्नी स्व0 मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा पटवार क्षेत्र धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 05 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 11.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खतौनी संख्या नई 01 में खसरा नम्बर 1086/227

रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा किस्म बंजड भूमि स्थित है । उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 227 हैं । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा संख्या की भूमि पी–14 में प्रार्थी का नाम कब्जाधारी के रूप में दर्ज है । प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार निरन्तर काबिज काश्त है । प्रार्थी ने ही उक्त भूमि को 30 वर्ष पूर्व खाल दरडों से आबाद कर कृषि योग्य बनाया था । अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1085/227 के उत्तरी ओर स्थित है । प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के दक्षिणी ओर नक्शा ट्रेस में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1085/227 रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1086/227 अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के दक्षिणी ओर स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। वर्तमान समय में तालेडा व बून्दी तहसीलों के खातेदारी व सिवायचक भूमियों के रकबे व खसरा नक्शा ट्रेस के तरमीम व बीघा बिस्वा से हैक्टर में परिवर्तन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड के पुनरीक्षण प्रविष्टियों व कम्प्यूटरीकृत ऑन–लाइन इन्द्राज का कार्य चल रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है । ऑन लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्राप्त करने पर पता चला है कि खसरा नम्बर 1086/227 को उत्तर की तरफ अंकित नहीं करके दक्षिण की ओर दर्शाया है एवं अप्रार्थी की खसरा नम्बर 1085/227 को दक्षिण की तरफ अंकित नहीं करके उत्तरी ओर शेड से दर्शाया गया है । उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम कम्पूटर लिपिक द्वारा सहवन से कर दी गई है । उक्त गलत तरमीम का नाजायज तरीके से अप्रार्थीगण द्वारा लाभ उठाकर प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद गलत स्थान पर की गई तरमीम प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1086/227 पर से नाजयज रूप से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करे एवं भूमि के स्वरूप को नहीं बिगाडे एवं प्रार्थी को उक्त भूमि के उपयो–उपभोग लेने के अधिकार में कोई अवरोध पैदा नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1086/227 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा पर पिछले 30 वर्षों से अधिक पुराना कब्जा काश्त है । अपीलान्ट काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया है । अपीलान्ट को तकनीकी कम्प्यूटर लिपिक से हुई भूल को सुधरवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका

उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक खसरा नम्बर 1086/227 रकबा 02 बीघा पर उनका कब्जा काश्त है । उक्त भूमि के दक्षिण स्थित अप्रार्थीगण की भूमि है । ऑन लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्राप्त करने पर पता चला है कि खसरा नम्बर 1086/227 को उत्तर की तरफ अंकित नहीं करके दक्षिण की ओर दर्शाया है एवं अप्रार्थी की खसरा नम्बर 1085/227 को दक्षिण की तरफ अंकित नहीं करके उत्तरी ओर शेड से दर्शाया गया है । उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम कम्पूटर लिपिक द्वारा सहवन से कर दी गई है जिसका अप्रार्थीगण लाभ उठाकर प्रार्थी उनके कब्जे की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा हैं । मेरे द्वारा गलत तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है । प्रार्थी उक्त आराजी पर पिछले 30 वर्षो से काबिज काश्त है । प्रार्थी अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को काबिज काश्त बनाया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । यदि दौराने वाद प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर जबरन कब्जे से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 निरस्त फरमाया जाावे तथा प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 4 व 5 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट अपना कब्जा बताकर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाह रहे हैं वह भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है । सरकार सिवायचक भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थी ने ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिससे इनका लगातार विधिक कब्जा साबित हो । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार ग्राम सूतडा की खसरा नम्बर 1085/227 रकबा 2 बीघा भूमि त्रिलोक, ज्ञानचन्द नाबा0 पि0 मोहन, मंजू, लीला नाबा0 पुत्रियॉ मोहन, घींसीबाई बेवा मोहन नाबा0 की संरक्षक माता घींसी बाई के गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 787 दिनांक 28.12.2018 का नोट अंकित है जिसके अनुसार उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई । इसी प्रकार फोटो प्रति नकल जमाबन्दी

संवत् 2072 से 2075 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम सूतडा की आराजी खसरा नम्बर 1086/227 रकाब 03 बीघा 05 बिस्वा सरकारी सिवायचक दर्ज है । फोटो प्रति नक्शा ट्रेस संलग्न है।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड में अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट अपने कब्जे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी जिस पर अपीलान्ट अस्थायी निषेधाज्ञा चाह रहे हैं वह भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर कब्जे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2021 में प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में भी अंकन किया है कि "साथ ही प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित हो कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज हुआ हो ।" आगे अंकन किया गया है कि "प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई जमाबन्दी, खेवट खतौनी, लगान की रसीदें, खसरा गिरदावरी आदि दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।" हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिससे हम सहमत हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा